



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-तृतीय
ऑफिस कॉम्प्लेक्स, बी-ब्लॉक, द्वितीय तल,
कल्याणपुर, कानपुर-208017
E-mail: gd3knp@upavp.com



पत्रांक

1645 / वि०खं०-3, कानपुर / G6 190

दिनांक : 19-11-19

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार ई-निविदाये आमंत्रित की जाती है जो कि ई-प्रोक्वोरमेंट सोल्यूशन प्रणाली द्वारा खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई निविदा डाउनलोड करने की तिथि	टेंडिनकल बिड खुलने की तिथि व समय	फाइनलिजेशन बिड खुलने की तिथि व समय
1	मदोकला योजना संख्या-8 (शाकुम्भरी विहार योजना) सहारनपुर में निर्माणधीन एफ-45 (जी-3) प्रकार के भवनों के क्षेत्र में बाह्य विद्युतीकरण का कार्य।	80.50	1.60	3000.00 + 18% GST	04 माह	26.11.19	04.12.19 11:00 बजे पूर्वाह्न	06.12.19 03:00 बजे अपराह्न

नियम व शर्त :-

- निविदा प्रपत्र एवं अन्य नियम व शर्त परिषद की वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर उ०प्र० इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वह नियमित रूप से उक्त वेबसाइट पर देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों द्वारा ही ऑनलाईन निविदा डाली जा सकती है।

प्रकाशनार्थ नहीं :-

- निविदा प्रपत्र का उपरोक्तानुसार निर्धारित मूल्य व वांछित धरोहर धनराशि का भुगतान RTGS के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-तृतीय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर के पक्ष में अलग-अलग कार्यों हेतु निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक किया जा सकता है। उपरोक्त की स्कैन प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

Detail of RTGS :-

Name of Holder-Executive Engineer, ED-III, UPAVP, Kanpur.

Name of Bank :-Bank of Baroda Branch Lakhanpur, Kanpur

Account No. :- 40010100009877

IFSC Code No. BARBOLAKHAN

- उक्त कार्य की निविदा डबल बिड प्रणाली में प्राप्त एवं खोली जायेगी।
- उक्त कार्य की निविदा परिषद में विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु पंजीकृत फर्मों की ही मान्य होगी।
- निविदादाता को, निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन से पूर्व कार्य की लागत का 10% (दस प्रतिशत) सिक्योरिटी धनराशि एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-तृतीय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर के पक्ष में बन्धक हो, को निविदा स्वीकृति प्रपत्र निर्गत होने के 07 दिन के भीतर कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
- फर्म की दरें निविदा की बी.ओ.व्यू. में अंकित दरों से 10 प्रतिशत तक कम होने तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम होने पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेंस गारंटी उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-622/23-12-2012-2 आडिट/०8 टी.सी. दिनांक 08 जून 2012 एवं तदकम में मुख्य अभियन्ता (म०) के पत्रांक 4196/निविदा/2018 दिनांक 14-09-2018 के अनुसार निविदा खुलने के एक सप्ताह के अंदर जमा करने के पश्चात् ही निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित समय में परफार्मेंस गारंटी की धनराशि का एफ०डी०आर० प्राप्त न होने की स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध के निष्पादन हेतु रु० 100.00 मूल्य का नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा। यदि मा० उच्चतम न्यायालय/शासन द्वारा स्टाम्प पेपर के मूल्य के सम्बन्ध में अन्य कोई आदेश पारित होते हैं तो तदानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अनुबन्ध के समय रु० 10.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
- समस्त कार्य उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० तथा उ०प्र० पी०डब्ल्यू०डी० की अद्यतन विशेषधियों के अनुसार कराये जायेगे।
- कार्य में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्रियों की जी०टी०पी० उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० से अनुमोदित करा कर सामग्रियों का निर्माता के परिसर में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के सामग्री प्रबन्ध अनुभाग से निरीक्षण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। उक्त में किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही कोई समयवृद्धि दिया जाना सम्भव होगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा।

क्रमशः.....2

9. ठेकेदारों/श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में होना अनिवार्य है।
10. निविदा से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्तों का पूर्ण विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध होगा, जिसका ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
11. कार्य की मात्रा घट-बढ़ सकती है जिसके लिये निविदादाता का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
12. निविदादाता द्वारा दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा धरोहर धनराशि जब करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा। यदि दस्तावेजों के फर्जी या गलत होने की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
13. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मानदण्डों के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूम्प्लेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध में निहित शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. निविदादाता को व्यापार कर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
15. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया, गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिससे किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
16. बी0ओ0क्यू0 की दरों में लेबर सेस तथा जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं। लेबर सेस तथा जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होंगे।
17. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
18. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी।
19. निविदा की टेक्निकल/फाइनेन्सियल बिड खुलने की तिथि को यदि कोई अवकाश पड़ता है तो निविदा की टेक्निकल/फाइनेन्सियल बिड अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर प्राप्त कर खोली जायेगी।
20. सभी फर्मा से अपेक्षा की जाती है कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें। उक्त निविदा में उल्लिखित कार्य के सम्मुख अंकित अवधि में किसी भी प्रकार की समयवृद्धि मान्य नहीं होगी।

(आवेश)

अधिसारी अभियन्ता

पू0स0

1645 / G6 190

दिनांक :

19-11-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ को उनसे हुए विचार विमर्श के क्रम में।
2. अधिसारी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/गाजियाबाद
3. इंजीनियर कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ, को उक्त निविदा सूचना परिषद वेबसाइट एवं एन0आई0सी0 की वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर प्रकाशित कराये।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता-द्वितीय, विद्युत खण्ड-तृतीय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को इस निर्देश के साथ कि समयान्तर्गत निविदा प्रपत्र तैयार कराकर परिषद वेबसाइट एवं एन.आई.सी. की वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. सहायक लेखाधिकारी विद्युत खण्ड-तृतीय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
6. अवर अभियन्ता श्री मेराजुद्दीन अहमद, विद्युत खण्ड-तृतीय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
7. नोटिस बोर्ड, विद्युत खण्ड-तृतीय, कानपुर।
8. मेसर्स प्राची मीडिया कन्सल्टेन्ट, 6/2 गोखले इन्क्लेव, गोखले मार्ग, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना को लखनऊ से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "तरुण मित्र" एवं कानपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र "आज" में तीन दिन के अन्दर न्यूनतम स्थान देते हुए प्रकाशित कराकर भुगतान हेतु बिल द्विपण में विद्युत खण्ड-तृतीय, कानपुर के कार्यालय में प्रेषित करें।

अधिसारी अभियन्ता